International Journal of Education and Science Research Review
IJESRR
Volume-9, Issue-1 January- 2022
E-ISSN 2348-6457
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

कन्या भ्रूण हत्या क्यों?

डॉ. अंजलि रानी
असिसटेंट प्रोफैसर, हिन्दी विभाग
मनोहर मैमोरियल पी.जी.कॉलेज
फतेहाबाद

आजकल चारों ओर सुनने में आ रहा है कि कुछ इलाकों में बालिकाओं की भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है। दरअसल पुरूष मानसिकता वाले इस समाज में जहां पुत्र के जन्म को वरदान माना जाता है वहीं कन्या के जन्म को कुछ लोग अभिशाप मानते हैं। ऐसे लोग गर्भवती महिला के भ्रूण का परीक्षण करवा कर पता लगा लेते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु नर है या मादा। यदि गर्भ में कोई कन्या पल रही होती है तो गर्भपात करवा कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस अमानवीय कृत्य के कारण समूचे भारतवर्ष में बालिकाओं की संख्या में गिरावट आ रही है जो एक खतरनाक संकेत है। सन् 2001 की जनगणना के आंकड़े औरतों की इस बदहाली की कहानी स्वयं कह रहे हैं। जीवने जीने की आजादी किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा मानवाधिकार होता है लेकिन जब कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए तो फिर हम कैसे महिला मानवाधिकारों की दुहाई दे सकते हैं?

कन्या भ्रूण हत्या के कारण हमारे देश में लिंगानुपात (स्त्री–पुरूष अनुपात) गड़बड़ा गया है। लिंगानुपात का अर्थ है प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या। कन्या भ्रूण हत्या के कारण प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या में काफी गिरावट आ चुकी है जो एक भयानक खतरे का संकेत है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में लिंग आधारित भ्रूण हत्याओं के मामले सबसे अधिक सामने आए हैं और यही कारण है कि इन राज्यों में विवाह योग्य युवकों को योग्य लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। जो समाज अपनी बालिकाओं से जीने का ही अधिकार छीन लेता हो उससे महिलाओं के मानवाधिकारों की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

कन्या भ्रूण हत्या का गर्भपात एक गंभीर आपराधिक कुकृत्य है लेकिन इससे बड़ा यह एक सामाजिक अपराध है। जो समाज अपनी बच्चियों को जन्म ही नहीं लेने देता उसे हम कैसे सभ्य और विकसित समाज कह सकते हैं। हालांकि प्रसव–पूर्व लिंग परीक्षण और फिर मादा–भ्रूण का गर्भपात करवाना कानूनन जुर्म घोषित कर दिया गया है और इसे रोकने के लिए कई कानून भी अस्तित्व में आ चुके हैं लेकिन फिर भी यह आपराधिक कुकृत्य रूकने का नाम नहीं ले रहा है। समूचे देश में स्त्री–पुरूष अनुपात गिर रहा है।

भारतीय समाज में कन्या जन्म को एक मुसीबत, एक अभिशाप माना जाता है तो इसके पीछे कई सामाजिक कुरीतियां और भ्रांतियां जिम्मेदार हैं। हमार समाज पुरूष प्रधान है और यहां किसी लड़की को पालना–पोसना अपेक्षाकृत कुछ मुश्किल भरा होता है। हमारे यहां दहेज की परंपरा ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि लोग कन्या का जन्म होने पर ही घबरा जाते हैं। भारतीय समाज में बेटे को वंश चलाने वाला माना जाता है इसलिए प्रत्येक परिवार पुत्र जन्म को वरीयता देता है। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग नवविवाहिताओं को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं।

गर्भ में पल रही कन्याओं के दुश्मन केवल पुरूष ही नहीं होते हैं अपितु महिलाएं भी इस जुर्म में बराबर की भागीदार होती हैं। कई बार तो स्वयं गर्भवती स्त्री ही गर्भ में कन्या के पलने की जानकारी होने पर उसका गर्भपात करवा देती है। यदि महिला स्वयं गर्भपात नहीं करवाना चाहती है तो अक्सर पति या परिवार के अन्य सदस्य उस पर दबाव डालकर गर्भपात करवा देते हैं। यदि महिला गर्भपात को तैयार नहीं होती तो जबरन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। किसी भी स्त्री के लिए मां बनना एक गौरवशाली क्षण होता है। लेकिन पुत्र मोहम में उससे मातृत्व का अधिकार ही छीन लिया जाता है। जिस कारण वह विषाद और अवसाद में डूब जाती है। इसी कारण मादा–भ्रूण की हत्या करना वैधानिक और सामाजिक अपराध तो है ही, साथ ही यह ईश्वर के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध भी है।

आजकल अत्याधुनिक तकनीकों के सहारे गर्भ के प्रथम माह में ही पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग क्या है, वह पुत्र है या पुत्री। चिकित्सा विज्ञान की इस देन का दुरूपयोग इतनी तेजी से समूचे समाज में फैल गया है कि हैरत होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई युगल विभिन्न कारणों से पुत्र की ही कामना करता है। जब महिला गर्भवती होती है तो ऐसे लोग अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों की सहायता से पता लगा लेते हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग क्या है। यदि शिशु पुत्र होता है तो गर्भवती की अच्छी देखभाल होती है लेकिन यदि गर्भ में कन्या पल रही होती है तो गर्भपात करा कर उससे जन्म लेने का अधिकार ही छीन लिया जाता है। यही कारण है कि आज हमारे यहां महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम हो गयी है।

यह समस्या सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है अपितु पश्चिम के विकसित देशों में भी ऐसा हो रहा है। इस प्रकार समूची दुनिया में मातृशक्ति को कमजोर किया जा रहा है। यदि कन्याओं को यूं ही भ्रूण में ही मारा जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब स्त्री प्रजाति ही लुप्त हो जायेगी। जब स्त्री नहीं होगी तो पुरूष भी नहीं होगा। जब जननी को जन्म ही नहीं लेने दिया जाएगा तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा? यह हमारे समाज की अपरिपक्वता का ही प्रतीक है कि यहां कन्याओं को जन्म लेने से पूर्व ही मौत के घाट उतार दिया जाता है ताकि वह पिता की संपत्ति में हिस्सा न बंटा सके या फिर उसके लिए दहेज न जुटाना पड़े।

गर्भ में भ्रूण का विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि पृथ्वी पर जीवन निरंतर चलता रहे। जब भ्रूण का गर्भपात किया जाता है तो एक तरह से हम प्रकृति के विरूद्ध कार्य कर रहे होते हैं। इसके अलावा कन्या–भ्रूण हत्या अधार्मिक भी है और पाप भी। यदि चिकित्सा–विज्ञान की दृष्टि से देखें तो बच्चे का जन्म प्रसव के बा न होकर उसी समय हो जाता है जब स्त्री गर्भाश्य में पिता के शुक्राणु और माता के अण्डाणु का निषेचन होता है। निषेचन के साथ ही गर्भाश्य में एक 'जीवन' जन्म ले लेता है जो धीरे–धीरे आकार ग्रहण करता है, रूप–स्वरूप प्राप्त करता है और विकसित होता है। इस प्रकार गर्भ में भ्रूण नहीं अपितु एक शिशु ही पल रहा होता है। भ्रूण–हत्या या गर्भपात को हमारी प्राचीन संस्कृति में एक पाप की संज्ञा दी गयी है और इसे महापातक कहा गया है।

विश्व के लगभग सभी धर्मों और संस्कृतियों में भ्रूण हत्या को पाप माना गया है लेकिन इस्लाम तो इसकी इजाजत कदापि नहीं देता। इस्लामिक विद्वान कन्या–भ्रूण हत्या को गैर–इस्लामिक और घोर पाप करार देते हुए कहते हैं कि औरत अपने हमल (गर्भ) को जाया करे, उसे उसका कोई अधिकार नहीं है। रिजक रोट तो खुदा के हाथ में है इसलिए किसी भी डर से कन्या–भ्रूण को पैदा होने से रोकना, खुदा की हैसियत पर शुबहा करने जैसा है। यह सोचना ही बहुत बड़ा पाप है कि बच्चा जब पेट में पल रहा हो तो उसे जाया कराया जाए। वस्तुतः हमल को जाया करना, हत्या जैसा ही अपराध है। इस्लाम औरतों को बहुत से हुकूक देता है और पैदा होने का अधिकार भी ऐसा हुकूक है। कुरान व हदीस में भी कन्या भ्रूण हत्या की साफ तौर पर मनाही है।

इस्लाम के साथ–साथ हिंदू धर्म में भी गर्भपात को पाप माना गया है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ का परिणाम है कि आज स्त्री–पुरूष अनुपात तेजी से गिरता जा रहा है। जिस कारण प्राकृतिक संतुलन तक बिगड़ गया है।

कानून भ्रूण हत्या से संबंधित कानून लागू होने के पश्चात भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं स्पष्ट है कि मात्र कानून बना देने से ही यह अनैतिक काम नहीं रूक सकता। जरूरत है इसके खिलाफ समाज में चेतना जागृत करने की। इसके अलावा सरकारी मशीनरी और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह एम.टी.पी. अधिनियिम को सख्ती से लागू करे।

आज दुनियाभर में इस तथ्य को माना जाता है कि स्त्रियों की क्षमताएं पुरूषों के बराबर ही हैं और वे किसी भी मामले में पुरूषों से पीछे नहीं है। इस सबके बावजूद अगर कन्याओं की भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है तो मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि पुरूषों की मानसिकता में बदलाव लाया जाए। हमें समझ लेना चाहिए कि वो समाज कभी तरक्की नही ंकर सकता जिसमें बालिकाओं को जन्म तक लेने का अधिकार न हो। यह स्थिति अब बदलनी चाहिए।